संख्या-06/2026/181/001-855 2020

प्रेषक,

संजय कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट,
चतुर्थ तल पिकप भवन, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

समन्वय अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-109-97-वाहय सहायतित परियोजनायें-9701-यू०पी०डाईवर्सीफाईड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद एवं मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक (वित्त),प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-201/323/वि०एवंले०/बजट/2026-27 दिनांक 06 मई,2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडाईवर्सीफाईड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (यूपीडास्प) लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-97-वाहय सहायतित परियोजनायें-9701-यू०पी०डाईवर्सीफाईड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि धनराशि रू० 450.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू.112.50 लाख (रूपये एक करोड़ बारह लाख एवं पचास हजार मात्र) एवं मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू० 1230.00 लाख (रूपये बारह करोड़ तीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू० 1342.50 लाख (रूपये तेरह करोड बयालिस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2-स्वीकृति की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

3-प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4-स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/कार्यो में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5-पी.सी.यू.यूपीडास्प द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

6-अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

7-अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

8-अनुमोदित धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

9-प्रस्ताव में आंकडो की शुद्धता का दायित्व यू.पी.डास्प का होगा।

10-प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह यू.पी.डास्प का उत्तरदायित्व होगा।

11-जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

12-विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

13-कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

14-व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15-स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च,2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,12,50,000 (रुपये एक करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001099701 यू.पी.डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 12,30,00,000 (रुपये बारह करोड़ तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001099701 यू.पी.डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट **मानक मद** 31 सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च,2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय कुमार दुबे
संयुक्त सचिव।

संख्या-06(01)/2026/181/001-855 2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज ।
2-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
3-अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7-कृषि अनुभाग-3/5,उत्तर प्रदेश शासन।
8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संजय कुमार दुबे
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।